

कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड़, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल, पिन - 462011

Tel. 0755-2551017, 2551021 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्रमांक 469 /नातौ/अ-1(1)एफ-34/2021
प्रति,

भोपाल, दिनांक: 01/09/2021

समस्त निरीक्षक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
मध्यप्रदेश

विषय:- रबी विपणन मौसम 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन नीति के तहत कृषि उपज मण्डियों, उपार्जन केन्द्रों एवं भंडार ग्रहों तथा भंडार ग्रहों के आस-पास के नाप-तौल उपकरणों एवं व्हे-ब्रिज (धर्मकांटा) के सत्यापन समय-सीमा में किये जाने बाबत्।

----- 000 -----


उपरोक्त विषयांतर्गत रबी विपणन मौसम 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य मार्च - 2021 से प्रारंभ होने की संभावना है। नाप-तौल विभाग को सभी मंडियों, उपार्जन केन्द्रों तथा भण्डारण केन्द्रों के नाप-तौल उपकरणों एवं धर्मकांटों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कार्य उपार्जन प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व पूर्ण कराकर ई-उपार्जन में दर्ज कराया जाना है।

निर्देशित किया जाता है कि आप क्षेत्रांतर्गत आने वाले उपार्जन केन्द्रों का विवरण जिला खाद्य कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त करें व संबंधित समितियों एवं कृषि उपज मण्डी समितियों के तौल यंत्रों का सत्यापन उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व करें। सत्यापन प्रमाण-पत्र में उपकरण का मेक (ब्रांड), केपेसिटी, ई-वैल्यू, मशीन नं. आवश्यक रूप से उल्लेख कर मौके पर ही प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जावे, क्योंकि ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर में उपार्जन केन्द्रवार उपकरणों के सत्यापन की पृविष्टि भी गत वर्षानुसार संबंधित केन्द्र प्रभारी / आपरेटर द्वारा की जाना नियत किया गया है। उपरोक्त किये गये सत्यापन का विवरण साप्ताहिक रूप से इस कार्यालय को प्रेषित करें।

जिले में कृषि उपज मण्डी, स्टेट सिविल सप्लाय कार्पोरेशन तथा स्टेट वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के जिला प्रबंधकों से संपर्क कर भंडार ग्रहों के व्हे-ब्रिज (धर्मकांटा) का भी सत्यापन इसी समय-सीमा में तथा ऐसे भंडार ग्रह जिनमें व्हे-ब्रिज (धर्मकांटा) नहीं है / संचालन योग्य नहीं है के आस-पास के व्हे-ब्रिज (धर्मकांटा) का निरीक्षण / सत्यापन भी उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व उनके नियमानुरूप होने बाबत् किया जाये।

सत्यापन / मुद्रांकन में सीलिंग प्रक्रिया का अनुपालन करने के साथ-साथ तौलयंत्रों, धर्मकांटो के समस्त भागों का उपयुक्त वायर / धागे से टेम्पर प्रूफ सीलिंग करना सुनिश्चित करें ताकि सत्यापन / मुद्रांकन पश्चात सील तोड़े बिना तौलयंत्र, धर्मकांटो की यथार्थता (accuracy) में अनापेक्षित रूप से कोई बदलाव नहीं किया जा सके

यह भी निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण भी किया जावे। ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर में निरीक्षण का विवरण अंकित किये जाने का भी प्रावधान किया गया है जिसमें निरीक्षण दिनांक, निरीक्षणकर्ता एवं पायी गई स्थिति के विवरण की पृविष्टि की जावेगी।


(एस.के. जैन)

नियंत्रक

नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)

म0प्र0 भोपाल

लगातार

पृ.क्र. 470/नातौ/अ-1(1)एफ-34/2021

भोपाल, दिनांक: 01/10/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख संचिव, म0प्र0 शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ
2. श्री वर्गीस अब्राहम, वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त उप / सहायक नियंत्रक नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ निरीक्षकों से दिये गये निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केंद्रों तथा भंडार ग्रहों पर सतत् निरीक्षण कर निरीक्षण का ब्यौरा ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर में भी पृविष्ट करवाया जाये ।

नियंत्रक
नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान)
क म0प्र0 भोपाल